

IT cell

T-111

परिचालन प्रकरण  
शैक्षिक विभाग

निरीक्षण परपत्र विद्यार्थी स्कूलों को मान्यता देने हेतु निरीक्षण

निरीक्षण की तिथि 17/12/2013  
जिला BHIWANI  
उपखण्ड LOHARU

1. विद्यालय का विवरण  
क. सामान्य  
1. विद्यालय का नाम SHIV MIDDLE SCHOOL

2. मान्यता का प्रकार प्राथमिक  मिडल  हाई  एम. एम.   
(बिस्वक लिये आवेदन किया है)  
3. 10+2 के लिये संकाय दस्तावेज आर्ट  कॉमर्स  साइंस   
(बिस्वक लिये आवेदन किया है)  
4. यदि पहले से मान्यता प्राप्त है तो संकाय आदेश क्रमांक व दिनांक सत्यापित प्रति संलग्न करें  
नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
प्राइमरी  मिडल  हाई   
डायरेक्टर  डी०ई०आर  स्थाई मान्य   
नं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
शहर  देहात

ख. विद्यालय की स्थिति का विवरण  
1. प्लॉट संख्या  
2. सैक्टर/ मोहल्ला  
3. शहर/कस्बा/ गाँव  
4. हुडा/न्युक्लियस कमेटी/ पंचायत  
5. सीपीडीए खण्ड  
6. विद्यालयसभा क्षेत्र  
7. जिला  
8. टेलीफोन नं० एस.टी.डी. कोड सहित  
9. फेक्स नं०  
10. ई-मेल पता  
FARTIA TAAL  
LOHARU  
BHIWANI  
01252258004

ग. विद्यालय का प्रकार  
1. विद्यालय की प्रकार  
2. दारिद्र्य किये अर्थ विद्यार्थियों संख्या 136  
3. बोर्ड का नाम जिससे मान्यता प्राप्त है बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.  अन   
4. विवरण  
अ. 1-8 वीं तक बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.  अन   
ब. 9-12 वीं तक बी.ओ.एस.ई.  सी.बी.एस.ई.  आई.सी.एस.ई.  अन   
5. माध्यम हिन्दी  अंग्रेजी  दोनों  अन

2. विद्यालय संचालक समिति का विवरण  
क. नाम SHIV EDUCATION AND WELFARE SOCIETY  
निजी/विजी संस्था/ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत था 1982 या सोसाइटी पंजीकृत एक्ट 1860 या कम्पनी एक्ट 1956

ख. पंजीकरण विवरण  
1. मैनेजमेंट की स्कीम क्या प्रस्तुत की है हा  नहीं   
2. क.पंजीकरण क्रमांक और दिनांक 0317 30 03 2012  
3. स.पंजीकरण प्राधिकरण BHIWANI  
4. मैनेजिंग कमेटी बनाई या नहीं हा  नहीं   
5. मैनेजिंग समिति के सदस्यों की संख्या 07 हा  नहीं   
बाई लॉ की प्रति हा  नहीं

ब.  
घ.  
की.  
क.  
ख.  
ग.  
घ. व



अन्य कमरे

मुख्याध्यापक का कार्यालय	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	2.3	18	10
स्टाफ का कमरा	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	2.4	18	10
कार्यालय का कमरा	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	2.4	18	10
पुस्तकालय	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	2.4	18	10
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
जीव विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
इकठ्ठी विज्ञान प्रयोगशाला	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	3.2	18	10
कम्प्यूटर प्रयोगशाला	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	3.6	18	10
वाणिज्य कमरा	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
स्टोर	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	2.5	18	10

दिनांक की संख्या 9.02

ब. बरामदा

- नये स्कूल के लिये :- 8 फुट सिंगल लॉडिड तथा 10 फुट डबल लॉडिड  फुट
- पुराने स्कूल के लिये :- 6 फुट सिंगल लॉडिड तथा 8 फुट डबल लॉडिड  फुट

घ. सीढ़ियाँ

- नये विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ी  नहीं  यदि साईज नह
- पुराने विद्यालय के लिये 4 फुट चौड़ी तथा 100 फुट दूरी पर एक अन्य सीढ़ी  नहीं  यदि साईज नह

ड. रैम्प

- नये विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ा  नहीं  यदि साईज नह
- पुराने विद्यालय के लिये 6 फुट चौड़ा यदि विद्यालय में रैम्प नहीं है तो विकलांग विद्यार्थियों की कक्षा ब्लाक फ्लोर पर लगाये  नहीं  यदि साईज नह

च. प्रयोगशाला

मिश्रित विज्ञान प्रयोगशाला	<input checked="" type="checkbox"/>	भौतिक विज्ञान	<input type="checkbox"/>	संगीत	<input type="checkbox"/>
फंक्शनल इंगलिस	<input type="checkbox"/>	रसायन विज्ञान	<input type="checkbox"/>	गस्टीगीहिया	<input type="checkbox"/>
अणित	<input type="checkbox"/>	जीव विज्ञान	<input type="checkbox"/>	अन्य	<input type="checkbox"/>
भूगोल	<input type="checkbox"/>	कम्प्यूटर	<input checked="" type="checkbox"/>		

- पीने के पानी की सुविधा  नहीं
- बिजली की सुविधा  नहीं
- विद्यार्थियों के लिये फर्निचर  नहीं
- घात: सभा के लिये खुला स्थान  नहीं
- घारदिवारी  नहीं

पानी का साधन Tubewell

- लड़कियों के लिये सौचालयों की संख्या  0.2
- लड़कों के लिये सौचालयों की संख्या  0.2
- कुल सौचालय  0.4

5. स्टाफ विवरण संलग्न

- क्या अध्यापक न्यूनतम शिक्षा में विभूषण है  नहीं
- क्या वेतनगान एपेन्डीकष 2 में दिये गये शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार सही है  नहीं

यदि नहीं तो वेतन विवरण

- संस्था के मुखिया (मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य)
- प्रवक्ता
- मास्टर/मिस्टरस
- अध्यापक (जे.बी.टी./सी.एण्ड टी./भाषा/पी.टी.आर्इ.)
- नैर शिक्षक स्टाफ (क्वर्क/नैर सहायक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

1
0.2
0.6
0.3

- स्टाफ के लिये निवन (नियम 162)  नहीं
- शिक्षकों का लिखित एपीनैट (नियम 161)  नहीं

6. फीस संग्रह

- कक्षा दर फीस व फण्ड (रेकॉर्ड, सी.इक्यू.एफ. व जेल निधी)  नहीं
- क्या फीस नियम 158-159 के अनुसार ली जाती है  नहीं
- क्या फीस का विवरण सूचना पट पर लभया जाता है  नहीं
- क्या रसीद दी जाती है  नहीं

7. विद्यालय रिकॉर्ड रखा जाता है

8. एकीकृत लक्ष्य

9. वित्तीय विवरण सी.ए. द्वारा

10. कार्यवाही फीस फार्म फीस

5वीं के लिये ₹ 1000/- 10वीं के लिये ₹ 5000/-

8वीं के लिये ₹ 2500/- 12वीं के लिये ₹ 10000/-

बैंक डाफ्ट का विवरण

डाफ्ट नं० 339756

बैंक का नाम S.B.I. LOHARU

फाइल नं०

हां  नहीं

हां  नहीं

हां  नहीं

हां  नहीं

दिनांक 30/8/20

जहां देय है OFFICE/LOHARU

स्वीकृतियां :-

हम इन्सपेक्शन कमेटी के सदस्य सन्तुष्ट हैं कि स्कूल तमाम नियम पूरे रखता है जिससे तापकी हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2019 नियम के तहत व समय समय पर संशोधन या सलाह दी जायेगी तब उसको निम्न धारों पर रिकोगनिशन/अपग्रेडेशन स्वीकृत करते हैं

स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 136 .....होनी चाहिये।

नीचे दिये गये कारणों से स्कूल रिकोगनिशन/अपग्रेडेशन के कर्तबद्ध नहीं है

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

हम कक्षा I से कक्षा VIII की स्वीकृती देते हैं/नहीं देते हैं

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

भिवानी

30/8/20

खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी  
Block Education Officer  
Loharu (Bhiwani)

सरपंच ग्राम पंचायत

LOHARU PANCHAYAT  
BARTHA TALL (LOHARU)

omkch

प्रश्न

आयुक्त एवं महानिदेशक (विद्यालय शिक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,

यादी क्रमांक: 22/ -2009 पी0 एस0 (2)

दिनांक चण्डीगढ़ :-

विषय:- प्रबन्धक कमेटी के अनुमोदन बारे-

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक जी- / / दिनांक के सन्दर्भ में।

आप द्वारा भेजे गए मामले में निरीक्षण उपरान्त निम्न कमियां पाई गई है :-

1 संस्था / ट्रस्ट / कम्पनी:-

- (i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- (ii) सविधान की प्रति।
- (iii) प्रबन्धक समिति की चुनाव प्रक्रिया संलग्न नहीं की है।

2 विद्यालय खोलने/अस्थाई मान्यता की प्रति नहीं है।

3 प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों की सूची:-

- (i) नाम पते एवं हस्ताक्षर संकेत संलग्न नहीं की गई।
- (ii) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- (iii) संस्था द्वारा हस्ताक्षरित / मोहर नहीं है।

4 प्रबन्धक कमेटी की सूची में सदस्य नहीं दर्शाया गया है।

- (i) प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक को पदेन सदस्य नहीं दर्शाया गया है।
- (ii) शिक्षाविद् (जो कम से कम स्नातक/बी0 एड0 होना चाहिए) शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित नहीं है।
- (iii) अध्यापक प्रतिनिधि नहीं दर्शाया गया है।
- (iv) अभिभावक प्रतिनिधि नहीं दर्शाया गया है।
- (v) महिला सदस्य नहीं दर्शाई गई है।
- (vi) एक अन्य सदस्य नहीं दर्शाया गया है।

5 छायांकित पत्रों की प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित नहीं है।

उपरोक्त कमियां ( ) सम्बन्धित समिति से दूर करवाने उपरान्त मामला इस कार्यालय को भेजा जाए। एवं भविष्य में अधुने मामले निदेशालय में न भेजे जाए।

अधीक्षक पी0 एस0  
कृते: आयुक्त एवं महानिदेशक  
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।